झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–447 वर्ष 2017

आशुतोष भगत .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2.. अनुमंडल अधिकारी, खुंटी

3. अंचल अधिकारी, खुंटी

4.स्कूल प्रबंधन समिति राजकीय हिंदी मध्य विद्यालय, खुंटी .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सुधीर कु0 शर्मा, अधिवक्ता

राज्य के लिए :– मो0 शमीम अख्तर, एस0सी0–III

04 / 11.04.2017 याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण वाद संख्या 01 / 2016–17 में कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए इस न्यायालय से संपर्क किया है, जहाँ प्रतिवादी संख्या 3, जिसे बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (अब झारखंड) के तहत कलेक्टर के रूप में नामित किया गया है, ने याचिकाकर्ता को ग्राम खूंटी में खाता सं0 408 में प्लॉट सं0 1000 और खाता संख्या 101 में प्लॉट संख्या 1002 पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा–10 में दिए गए बयान के अनुसार, उपस्थित हुए और अपना कारण बताओ भी दाखिल किया है। उन्होनें उक्त अतिक्रमण मामले में अनुलग्नक–9 / 1 पर रखा नोटिस जारी करने पर माप अभ्यास की

आड़ में अतिक्रमण हटाने की आशंका पर इस न्यायालय से संपर्क किया। 1956 के अधिनियम की धारा 3 (अनुबंध–10) के तहत नोटिस पूरक शपथ पत्र में संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार किए बिना प्लॉट संख्या 1002 पर स्थित संरचना को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जब मामला कल उठाया गया था, तो याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमण को हटाने के खतरे के आशंका के मद्देनजर राज्य के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया था।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शमीम अख्तर ने निर्देश प्राप्त किए हैं और अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति में भूखंडों का माप और पुनः मापन किया गया था। याचिकाकर्ता 16 फरवरी 2017 को पेश हुआ था और अभिलेखों की प्रतियां मांगी थीं जो 16 फरवरी, 2017 को ही उपलब्ध करा दी गई थी। तत्पश्चात् उन्होनें समय मांगा इस आधार पर कि रिट याचिका यानी वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। 26 मार्च 2017 को समय दिया गया था। इसके बाद 3 अप्रैल 2017 को भी याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन इस न्यायालय के कोई भी स्थगन आदेश को प्रस्तुत कर सका। उन्हें 8 अप्रैल 2017 को या उससे पहले स्कूल परिसर के प्लॉट संख्या 1000 पर कथित अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद मामला 4 अप्रैल और 10 अप्रैल 2017 को यानी कल उठाया गया।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन हालांकि यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आपत्ति से निपटने के लिए बिहार

सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में उचित आदेश पारित किया गया है। इस तरह की आपत्ति पर उचित सुनवाई के बाद ही प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि नोटिस में वर्णित भूमि के टुकड़ों पर कथित रूप से अतिक्रमण है या नहीं। इस तरह के निर्धारण के आधार पर कलेक्टर/प्रतिवादी संख्या 3 के लिए कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने के लिए खुला होगा।

उपरोक्त तथ्यों की स्थिति में, याचिकाकर्ता को मामले में सहयोग करना चाहिए और 15 अप्रैल, 2017 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है और निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो यह प्रतिवादी संख्या 3 के लिए कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए खुला होगा। इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता ने 1956 के अधिनियम के तहत जारी नोटिस पर आपत्ति दर्ज की है और कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है, यह न्यायालय मामले के गुण–दोष पर कुछ भी देखने से परहेज करता है। तद्नुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)